(183)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2207—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—09—2011 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील समेरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 14/अ—5/2010—11.

.....

मनोज प्रसाद द्विवेदी तनय श्री रामनिरंजन द्विवेदी
निवासी ग्राम बुसौल तहसील सेमरिया
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—श्रीमती सावित्री सिंह पत्नी श्री सुधंत सिंह .
निवासी ग्राम खमरिया चौवेन
तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
2—म0 प्र0 शासन

—— अनावेदकगण

.....

श्री शिव प्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक क0 1 पूर्व से अनुपस्थित

.....

आदेश

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—09—2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक मनकेश प्रसाद द्विवेदी द्वारा नायब तहसीलदार सेमरिया के न्यायालय में इस आशयका आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम कोटरा की भूमि खसरा कमांक 117/2 रकवा 0.27 डि0 एवं खसरा कमांक 118/2

रकबा 0.20 डि0 जिसका आवेदक भूमि स्वामी है वरिकाड्र में इन्द्राज है। आवेदक उक्त भूमियों का सीमांकन कराना चाहताहै किन्तु नक्शे में तरमीम न होने के कारण सीमांकन होना संभव नहीं है । अतः उक्त भूमियों को नक्शे में तरमीम की जावे। नायब तहसीलदार सेमरिया द्वारा आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुये अपने आदेश दिनांक 22.4.08 के पालन में सूचना पत्र, स्थल पंचनामा, फील्ड बुक, प्रतिवेदन के परिपालन में आदेश पारित किया गया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर कलेक्टर के आदेशानुसार तहसील न्यायालय में भी कार्यवाही बावत आवेदन दिया व जानकारी लेने का प्रयास किया लेकिन तहसील में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पायी कि वास्तव में अपरकलेक्टर के आदेशानुसार कोई कार्यवाही चल रही है या नहीं और इस बीच अनावेक कमांक 1 ने चोरी छिपे तौर पर तहसील न्यायालय में आवेदन देकर बगैर आवेदक को पक्षकार बनाये व बगैर किसी सूचना के एक पक्षीय आधार पर जो नक्शा तरमीम दिनांक. 10.8.09 को तारीख तैयार कराया और उसकी पुष्टि कराया वह अवैधानिक व अधिकार विहीन है। उनके द्वारा यह भी कहागया है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के अनुसार भी हितबद्व व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देकर विधिवत रकवा की नाप करके सभी उपखंडो का नाम करके कब्जा अनुसार निराकरण करना चाहिये था। इस तहर अधीनस्थ न्यायालय के नक्शा तरमीम की कार्यवाही व आदेश अवैधानिक है जो निरस्त करने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने। उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचना पत्र, स्थल पंचनामा, फील्ड बुक, प्रतिवेदन आदि तैयार की जाकर कार्यवाही की गई है। दिनांक 26.9.11 को कोई आपत्ति नहीं आने के कारण नायब तहसीलदार सेमरिया

द्वारा आदेश पारित किया गया है उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः न्यायालय तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 14/अ–5/10–11 में पारित आदेश दिनांक 26–09–2011 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर